Schedule XLH-High Court No.(J) 9[Old(M)164] Case No.-110/2024

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)
[Dakhil-Kharij Revision Case No.-110/2024

Shambhu Kumar Subham……………………………………Appellant

Versus

Bhogiya Devi & Others & The State of Bihar……………….Respondents

Serial No.	Date of order of procedding	Order with signature of the court	Office action taken with date
1	2	3	4
	23.08.2025	प्रस्तुत दाखिल-खारिज पुनरीक्षण वाद न्यायालय अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी, सहरसा के दाखिल-खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या-13/2022 (भोगिया देवी एवं अन्य बनाम शंभु कुमार शुभम) में दिनांक-23.7.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है। अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी की ओर से बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 9(7)(ग) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद दायर किया गया है। जबकि उक्त धारा जमाबंदी के रद्दीकरण से संबंधित है। बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के धारा-8(2) में अंकित है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश के 30 दिनों के भीतर समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता के समक्ष पुनरीक्षण हेतु आवेदन दायर कर सकेगा। बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के अन्तर्गत समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता के आदेश के विरूद्ध प्रमण्डलीय आयुक्त के समक्ष अपील/रिवीजन का प्रावधान निरूपित नहीं है। यह वाद इस न्यायालय में Maintainable नहीं है। अतः उपरोक्त के आलोक में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें। LCR निम्न न्यायालय को वापस भेजें। Raje K. 23/8/25. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। Raje K. 23/8/25. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	